

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
संकल्प

विषय:- मिहिजाम नगर परिषद् अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक - निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु कुल लागत राशि ₹ 7216.85 लाख (बहतर करोड़ सोलह लाख पच्चासी हजार) एवं SBM के केन्द्रांश से ₹ 221.58 लाख (दो करोड़ इक्कीस लाख अन्ठावन हजार) तथा राज्य योजना मद 20 वर्षों में कुल राशि ₹ 3036.24 लाख (तीस करोड़ छतीस लाख चौबीस हजार) यानि कुल ₹ 3257.82 लाख (बतीस करोड़ संतावन लाख बयासी हजार) का अनुदान उपलब्ध कराने की प्रशासनिक स्वीकृति ।

74 वें संविधान संशोधन की 12 वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी शहरी नागरिकों को मौलिक/ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) एक प्रमुख अवयव है।

2. भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख घटक माना गया है। इस मिशन के तहत शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थापन करते हुये 2 अक्टूबर, 2019 तक पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य है।
3. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) द्वारा भी ठोस अपशिष्ट के आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक द्वारा व्यवस्थापन किए जाने हेतु बल दिया जा रहा है।
4. TSP प्रक्षेत्र, मिहिजाम नगर परिषद् में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना हेतु भूमि उपलब्ध होने के उपरांत इसका DPR तैयार कराया गया है, जिसमें door to door collection, transportation, waste processing तथा scientific sanitary landfilling का प्रस्ताव है। इस योजना को दो चरणों में पूरा किया जायेगा प्रथम चरण की निविदा EPC Mode पर एवं दूसरे चरण की निविदा को लोक - निजी भागीदारी (PPP Mode) पर कार्यान्वयन हेतु तैयार किया गया है। इस योजना का 20 वर्षों में अनुमानित लागत राशि के साथ CAPEX, OPEX एवं अन्य पर आने वाले कुल व्यय का विस्तृत विवरण तालिका - 2 में दर्ज है।
5. उपरोक्त DPR पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।
6. निकाय के पास 5 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जो योजना हेतु पर्याप्त है।
7. Capex मद में PPP पार्टनर द्वारा न्यूनतम 30% राशि अर्थात ₹ 236.62 लाख का व्यय किया जायेगा।
8. केन्द्रांश से कुल राशि ₹ 221.58 लाख SBM योजना के तहत Mission Period, 2 Oct. 2019 तक @ 20% CAPEX एवं OPEX मद तथा @ ₹ 12 प्रति व्यक्ति DPR बनाने हेतु दिया जाना है। इस योजना को DBOT (Design, Built, Operate & Transfer) Mode पर किया जाना है।
9. योजना का वित्त पोषण स्वच्छ भारत मिशन मद से किया जायेगा जिसका विस्तृत विवरण तालिका - 1 में वर्णित है।

तालिका - 1

S. No.	Particulars	Amount in ₹ Lakhs
1.0	Total Project Cost	7216.85
2.0	Central Government Share	221.58
3.0	Fund from PP partner	236.62
4.0	Total State Government Share (1.0 - 2.0 - 3.0)	3036.24

10. योजना का 20 वर्षों का लागत, आमदनी एवं व्यय का विवरण तालिका - 2 में वर्णित है:

तालिका - 2

Mihijam Solid Waste Management - Fund Flow		
S. No.	Particular	Amount in ₹ Lakh
1	Total Project Cost (=1.1+1.2+1.3)	7216.85
1.1	Capital Cost (CAPEX)	788.73
1.2	O & M Cost for 20 Yrs.	6325.59
1.3	Other Expenses (=1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	102.53
1.3.1	DPR Preparation Cost @ 1.5%	11.83
1.3.2	Training & Capacity Building of ULB @ 1.5%	11.83
1.3.3	Monitoring & Supervision Charges @ 10%	78.87
2	Total Income (=2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	3722.41
2.1	by User Charges in O&M	1834.57
2.2	by Sale of Compost in O&M	1290.85
2.3	by Sale of Recyclable in O&M	589.99
2.4	by Scrap Sale in O&M	7.00
3	Central Share (=3.1+3.2+3.3)	221.58
3.1	Central Share for DPR preparation @ ₹ 12 per capita	5.72
3.2	Central Share in CAPEX @ 20% of it	157.75
3.3	Central Share in O&M @ 20% up to mission period (= 3yrs.)	58.11
4	Investment of PPP Operator	236.62
4.1	Investment by private partner in CAPEX @ 30% (PPP mode)	236.62
5	Total Grant Required from State (= 5.1+5.2+5.3)	3036.24
5.1	In CAPEX	394.37
5.2	In O&M in 20 years	2545.06
5.3	In Other	96.81

4796
25/08/16

Nav

P

J

11. योजना की निविदा प्रक्रिया, दो अलग - अलग चरणों द्वारा पूर्ण की जाएगी :
- क. प्रथम निविदा के तहत Collection, Storage and transfer हेतु सयंत्र एवं वाहनों का क्रय Item rate basis जायेगा, जिस पर कुल व्यय ₹ 145.20 लाख होगी ।
- ख. दूसरी निविदा के तहत PPP Mode पर आमंत्रित किया जाना है जिसके तहत processing plant तथा landfill site का निर्माण, मशीनों की commissioning एवं सम्पूर्ण योजना को 20 वर्षों तक चलाने का कार्य सम्मिलित होगा । निविदा में Capital cost item rate basis पर तथा O&M cost Tipping Fee (प्रति टन अपशिष्ट संग्रहण) के आधार पर आमंत्रित किया जायेगा ।
12. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में:
- क. मिहिजाम नगर परिषद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की कुल लागत राशि ₹ 7216.85 लाख, SBM के केन्द्रांश से कुल ₹ 221.58 लाख एवं राज्यांश मद से ₹ 3036.24 लाख निकाय को 20 वर्षों में अनुदान देने एवं कार्य करने की स्वीकृति दी जाती है ।
- ख. वित्तीय वर्ष 2016 - 17 में योजना के कार्यान्वयन हेतु SBM के केन्द्रांश मद से कुल ₹ 155.00 लाख तथा राज्य योजना मद से ₹ 100.00 लाख निकाय को अनुदान की स्वीकृति दी जायेगी ।
13. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक - 10.08.2016 में मद संख्या - 17 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित किया जाए ।

झारखण्ड राज्य के मुख्यमन्त्री के आदेश से,

अरुण कुमार सिंह

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- SUDA/SBM/SWM/28 - 2015..... 4796 राँची, दिनांक-..... 26/08/16
 प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को राजपत्रके असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।
 अनुरोध है कि मुद्रित संकल्प की एक सौ प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराई जाये ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- SUDA/SBM/SWM/28 - 2015..... 4796 राँची, दिनांक-..... 26/08/16
 प्रतिलिपि - माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव/ निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/ निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/ PD (Technical), JUIDCO/ संबंधित आयुक्त/उपायुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी, मिहिजाम नगर परिषद/ बजट शाखा/ नोडल पदाधिकारी E - गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

Nav

P

